न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुन्नौर, जनपद सम्भल।

राज्य बनाम राकेश अग्रवाल आदि।
मु0 अ 0 सं0–366/2022,
धारा–384,385,386,323,506 भा0 दं0 सं0,
थाना गुन्नौर।

दिनांक–18–10–2022

अभियुक्तगण की ओर से मु0 अ 0 सं0–366/2022, धारा–384,385,386, 323 506 भा0 दं0 सं0 जिला सम्भल में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध हैं।

बार–बार पुकार पर अभियोजन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं।

प्रार्थीगण का कथन है कि उन्हें उक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया हैं। उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा की गई कार्यवाही के एवज में प्रार्थीगण का नाम उक्त मुकदमें में लिखाया गया है। उन्होने किसी से भी कोई फिरोती का अपराध नहीं किया है। वे अपनी जमानत कराना चाहते हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें। जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अजमानतीय प्रकृति का है। अतः जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्तगण पंकज अग्रवाल व विकास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुन्नौर
जनपद सम्भल।